भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4796

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

आधार को पैन कार्ड से जोड़ना

4796. डॉ. मनोज राजोरियाः

श्री लखन लाल साहूः

डॉ. बंशीलाल महतोः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में देश में पैन कार्ड-धारकों की संख्या कितनी है और अब तक कितने पैन कार्ड-धारकों ने आधार के साथ अपना पैन नंबर जोड़ लिया है;

(घ) क्या सरकार ने आधार को पैन के साथ जोड़ने के कार्य को पूर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है और 31 दिसंबर, 2018 की आधार संख्या के साथ पैन को जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह किस प्रकार पैन कार्डधारकों हेतु लाभप्रद होगा?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क), (ख),(घ) और (ड.): आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139कक की उप-धारा(2) में यह प्रावधान है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार पैन हैं और वह आधार प्राप्त करने के पात्र हैं, द्वारा केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को अथवा इससे पहले अपने आधार संख्या से आयकर विभाग के निर्दिष्ट प्राधिकारण को सूचित करना अपेक्षित है। केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसी किसी तिथि को अधिसूचित नहीं किया है।

तथापि अधिनियम की धारा 139कक की उप-धारा (1) के तहत, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जोकि आधार संख्या प्राप्त करने का पात्र है, को 1 जुलाई, 2017 से आय की विवरणी में और पैन के आवंटन के आवेदन पत्र में आधार संख्या उद्धृत करना है। तथापि जहां किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो उसे आधार आवेदन-पत्र की नामांकन आईडी का उल्लेख करना होगा।

जबकि किसी करदाता को, 1 जुलाई, 2017 को या बाद में दायर की गई आय-विवरणी में आधार या नामांकन आईडी को बताना है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने, कुछ करदाताओं द्वारा आयकर विवरणियां भरते समय, पैन के साथ आधार लिंक करने की प्रक्रिया में आई तकनीकी कठिनाइयों पर विचार करते हुए, करदाताओं को कई एक्सटेंशन प्रदान किए हैं ताकि पैन के साथ आधार को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो सके।

चूंकि पैन, आयकर विभाग (आईटीडी) के पास, किसी करदाता के वित्तीय लेन-देन और पत्राचार को ज्ञात करने का मूल आधार होता है, अतः इसे अनन्य रूप से ज्ञात करने और विद्वैध (डी-डुप्लीकेट) करना अपेक्षित है यह इसके दुरूपयोग और बड़ी कर धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी अपेक्षित है। पैन के साथ आधार को जोड़ना, आईटीडी के लिए पैनकार्ड धारकों की अनन्य पहचान करने और पता नहीं लगे डुप्लीकेट पैन को समाप्त करने में सहायक होता है।

(ग) सभी श्रेणियों के व्यक्तियों (अर्थात् व्यष्टि, फर्म, कंपनियों, न्यासों इत्यादि) को जारी पैन की कुल संख्या 12.3.2018 की स्थिति के अनुसार 37,50,02,705 है। व्यष्टि श्रेणी को जारी पैन की कुल संख्या 36,54,52,662 है जिसमें से 16,84,36,386 पैन को आधार के साथ जोड़ा (लिंक) किया गया है।

****